न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–2024 / 248

दर्ज तिथिः–31.12.2024

1. वारीदेवी पत्नी जीवाराम
   जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना,पटवार हल्का धोरीमन्ना,तहसील धोरीमन्ना

.......................प्रार्थीया

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना
2. चनणाराम पुत्र जीवाराम
3. प्रागाराम पुत्र जीवाराम
4. शंकरलाल पुत्र जीवाराम
5. जीवाराम पुत्र धर्माराम
6. भंवराराम पुत्र धर्माराम
7. ठाकराराम पुत्र सवाराम
8. हुकमाराम पुत्र सवाराम
9. हेमीदेवी पत्नी सवाराम फौत के कायम मुकाम विप्रार्थी संख्या 7 व 8
   जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना,पटवार हल्का धोरीमन्ना,तहसील धोरीमन्ना

.................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री देवाराम चौधरी
अप्रार्थीगणः–एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–01.04.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश [illegible] प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने रा[illegible] नियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया ग[illegible]के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

आराजी 363/1/0.6961 है0, 363/6/0.4856 है0 वाके ग्राम धोरीमन्ना,पटवार हल्का धोरीमन्ना, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 15.06.2021 को क्रय की थी। वर्णित हाल खसरा नम्बरान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 में प्रार्थीया का नाम वीरादेवी पत्नी जीवाराम अंकित हो गया जबकि बेचान दस्तावेज में प्रार्थीया के खरीद के समय वारीदेवी पत्नी जीवाराम जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना लिखा हुआ था लेकिन नामान्तकरण दायर करते समय राजस्व कार्मिकों की कलमी भूल की वजह से वीरादेवी पत्नी जीवाराम दर्ज कर दिया गया जबकि वारीदेवी पत्नी जीवाराम दर्ज करना था। उक्त आराजी में ही प्रार्थीया का नाम वीरादेवी पत्नी जीवाराम दर्ज है जबकि प्रार्थीया के बेचान दस्तावेज व अन्य समस्त दस्तावेज में प्रार्थीया का नाम वारी देवी पत्नी जीवाराम जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना अंकित है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम बेचान दस्तावेज अनुसार वारीदेवी पत्नी जीवाराम जाति मेघवाल निवासी धोरीमना तहसील धोरीमना दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण अनुपस्थित लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. पत्रावली पर प्रार्थीया वकील की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में वारी देवी पत्नी जीवाराम के स्थान पर वीरादेवी पत्नी जीवाराम दर्ज होने के कारण प्रार्थीया को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथीर्या हाल राजस्व रिकॉर्ड में वीरादेवी पत्नी जीवाराम दुरूस्त कर सही नाम वारीदेवी पत्नी जीवाराम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2072-2075 वाके ग्राम धोरीमन्न पटवार हल्का धोरीमन्ना के नवीन खाता संख्या 252 का विवरण निम्न प्रकार हैः-

खातेदार	हिस्सा	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
वीरादेवी पत्नी जीवाराम	1/8	363/6 मौजा धोरीमना 363/1 मौजा धोरीमना	0.4856 है0 0.6961 है0

5. प्रकरण में प्रार्थीया का नाम से संबंधित अन्य [illegible] का विवरण इस प्रकार हैः-

दस्तावेज का विवरण	नाम
बेचान दस्तावेज 15.06.2021	वारीदेवी पत्नी जीवाराम
जनाधार कार्ड	वारीदेवी पत्नी जीवाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

आधार कार्ड	वारीदेवी पत्नी जीवाराम

6. प्रकरण में उक्त खसरे के बेचान दस्तावेज जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:–
   1. *बेचान दस्तावेज दिनांक 15.06.2021 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 56 पृष्ठ संख्या 21 क्रम संख्या 202103110100594 में प्रार्थीया का नाम वारीदेवी पत्नी जीवाराम जाति मेघवाल निवासी धोरीमना दर्ज है।*
7. उक्त विश्लेषण के अनुसार मुताबिक बेचान दस्तावेज दिनांक 15.06.2021 अनुसार प्रार्थीया का नाम वारीदेवी पत्नी जीवाराम जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना द्वारा उक्त खसरा संख्या 363/1 व 363/6 में से रकबा क्रय किया था। तथा नामान्तकरण के समय वारीदेवी पत्नी जीवाराम के स्थान पर वीरादेवी पत्नी जीवाराम दर्ज हो गया था। वर्तमान में प्रार्थीया का अन्य दस्तावेजों में नाम वारीदेवी पत्नी जीवाराम अंकित है। अतः प्रार्थी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यद्यित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थीया अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीया के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अन्य दस्तावेज व बेचान दस्तावेज दिनांक 15.06.2021 से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 दस्तावेज व बेचान दस्तावेज से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीया की खातेदारी आराजी हाल खसरा संख्या 363/6/0.4856 व खसरा संख्या 363/1/0.6961 है वाके ग्राम धोरीमना पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना में नाम संबंधी इन्द्राज <u>वीरादेवी पत्नी जीवाराम</u> को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व बेचान दस्तावेज दिनांक 15.06.2021 अनुसार <u>वारीदेवी पत्नी जीवाराम</u> अंकन करने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे। उपपंजीयक धोरीमना के बेचान दस्तावेज दिनांक 15.06.2021 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 01.04.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:10 IST
Reason: SelfAttested

1/4/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना